



न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

शिकायत विविध वाद संख्या-12/2017-18

तारा रोहतगी बनाम चन्द्र कृष्ण रोहतगी

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में रिषणी, तारीख सहित
1	2	3
12/17/18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>इस वाद की कार्यवाही जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 4098 दिनांक 04.08.2017 व 42811 दिनांक 02.08.17 के साथ प्राप्त श्री तारा रोहतगी पति स्व0 रवीन्द्र कृष्ण रोहतगी, धवलपुरा कोठी, जय कृष्ण रोड, पटना सिटी के परिवार पत्र अनन्य वाद सं0 428110101081701132 के आलोक में आरम्भ की गयी।</p> <p>दिनांक 07.02.2018 को आवेदिका के अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि आवेदिका श्रीमती तारा रोहतगी की दिनांक 25.01.2018 को मृत्यु हो गयी है। समय की मांग की गयी। पुनः आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 04.04.2018 एवं 16.05.18 को भी समय की मांग की गयी। दिनांक 19.05.18 को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा Substitution Petition दायर किया गया।</p> <p>आज विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा Substitution Petition पर बहस करते हुए कहा गया कि Substitution Petition निर्धारित अविध 90 (नब्बे) दिनों के बाद दाखिल किया गया है, अतः C.P.C ऑर्डर XXII नियम 3(2) के अंतर्गत स्वीकार योग्य नहीं है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा Substitution Petition स्वीकार करते हुए मृतक आवेदिका स्व0 तारा रोहतगी के स्थान पर उनके पुत्री रश्मी रोहतगी को प्रति स्थापित करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। स्पष्ट है कि श्रीमती रश्मी रोहतगी को दिनांक 25.01.2018 को ही अपनी माता की मृत्यु की सूचना प्राप्त थी। परन्तु उनके द्वारा 90 (नब्बे) दिनों की अवधि बीत जाने के उपरान्त दिनांक 19.05.2018 को Substitution Petition दायर किया गया, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वाद निरस्त करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (वर्जैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना </div> <div style="text-align: center;">  (वर्जैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना </div> </div>	